an>

Title: Regarding alleged flouting of environmental norms at stone quarrying sites in Aurangabad district, Bihar -laid.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): बिहार के औरंगाबाद जिले में रफीगंज अंचल के पचार तथा मदनपुर अंचल के सैंडल पत्थर खदानों में खनन मानदंडो का उल्लंघन किया जा रहा है I पत्थर खनन के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत पट्टाधारी को कुछ शर्तें यथा रात्रि में खनन रोकना, कंक्रीट पिलरों का ढाला जाना, पर्यावरण रक्षा हेतु वृक्षा रोपण करना आदि मानने की बाध्यता होती है । किन्तु दोनों ही स्थानों पर खनन में पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन कर न सिर्फ रात में इन खदानों का दोहन जारी है बल्कि नियम विरुद्ध न तो हरित पट्टी विकसित की जा रही है न ही खनन स्थल पर प्रदूषण नियंत्रण हेतु GI शीट का उपयोग किया जा रहा है बल्कि नियम विरुद्ध अधिक गहराई तक ड्रिलिंग कर पत्थर तोड़ने का कार्य जारी है। रफीगंज में खनन स्थल के निकट ही जैन मंदिर, एक मस्जिद तथा हिन्दू धर्मस्थल भी है । बड़े विस्फोटों से निकट बसी आवादी के घरों एवं इन धार्मिक स्थलों के भवनों को भी क्षति पहुँच रही है।

मेरी सरकार से मांग है कि केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड इन खनन स्थलों कि जांच करें तथा खनन शर्तें न पूरा करने कि स्थिति में तत्काल प्रभाव से खनन प्रतिबंधित किया जाए।